भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
GOVERNMENT OF INDIA
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

सं. PD/2/2017/STGBH/SEOTH/RU-III

छठा तल बी विंग लोकनायक भवन
खान मार्केट नई दिल्ली.110003
दिनांक 31.07.2017

सेवा में

1. प्रमुख सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार सरकार,
पटना

2. कलेक्टर,
जिला सिवान
पिन कोड–841227,
(बिहार)

विषयः श्रीमती प्रमावती देवी, पत्नी श्री रामाजी साह, ओम नगर, मिठापुर विस्तार, बदरपुर, नई दिल्ली दिनांक 17.02.2017–दबंग लोगों द्वारा उत्पीड़न करने के परिवाद पर आयोग के माननीय उपाध्यक्ष,सुश्री अनुसूईया उइके के समक्ष दिनांक 28.06.2017 को हुई बैठक का कार्यवृत्त ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दिनांक 28.06.2017 को आयोग में हुई बैठक के कार्यवृत्त की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न का आपको भेजी जा रही है।

अनुरोध है कि प्रकरण में अनुपालन रिपोर्ट आयोग को एक माह के भीतर भिजवाने का कष्ट करें ।

4885-87
31/7/17

भवदीय

(एस.पी.मीना)
सहायक निदेशक

प्रतिलिपि प्रेषितः

श्रीमती प्रमावती देवी,
पत्नी श्री रामाजी साह,
निवास–ए–188, गली न.–11,
ओम नगर, मिठापुर विस्तार,
बदरपुर, नई दिल्ली–110044

NIC, NCST

भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

सं. पी.डी./2/2017/एसटीजीबीएच/एसईओटीएच/आर.यू.-3

श्रीमती प्रभावती देवी पत्नी श्री रामजी साह द्वारा दबंग लोगों द्वारा उत्पीड़न के मामले में माननीया उपाध्यक्ष सुश्री अनुसुईया उइके के समक्ष दिनांक 28/06/2017 को 1600 बजे को हुई बैठक का कार्यवृत्त ।

बैठक की तिथि 28/06/2017

बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची संलग्नक " क" पर

श्रीमती प्रभावती देवी पत्नी श्री रामजी साह द्वारा उनकी काबिज जमीन ग्राम गोठी सिवान बिहार पर कुछ दबंग लोगों द्वारा जमीन पर जाने से रोकने एवं उत्पीड़न के संबंध में आयोग को 17/02/2017 को अभ्यावेदन दिया । इस सन्दर्भ में आयोग ने 15/03/2017 को जिला कलेक्टर सिवान से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी परन्तु जिला कलेक्टर कार्यालय सिवान से कोई जवाब नहीं आया । तदुपरांत आयोग द्वारा दिनांक 20/04/2017 को जिला कलेक्टर सिवान को अनुस्मरण पत्र भेजा, जिसका का भी कोई जवाब नहीं आया । मामले में आयोग ने संज्ञान लेकर दिनांक 06/06/2017 को प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार एवं जिला कलेक्टर, सिवान को चर्चा हेतु बुलाया लेकिन न तो दोनो अधिकारी बैठक हेतु उपस्थित हुये और न ही इस सन्दर्भ में कोई सूचना आयोग को भेजी गई । आयोग ने इसे गंभीरता से लेते हुये दिनांक 28/06/2017 को 1600 बजे बैठक निर्धारित की जिसकी सूचना उपरोक्त दोनों अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु राज्य के मुख्य सचिव को भी सूचित किया गया । बैठक में रेजिडेंट कमिशनर, बिहार एवं जिला कलेक्टर, सिवान, बिहार उपस्थित हुये ।

आयोग ने मामले में पहले अभ्यावेदक को अपनी समस्याओं को बताने हेतु कहा । जिस पर श्रीमती प्रभावती देवी ने बताया कि उन्होंने ग्राम गोठी, थाना आन्दर, जिला सिवान में एक भू-खण्ड 4 कट्ठा 14 धूर जिसका खाता संख्या 71 सर्वे नं. 279 है, जोकि स्व. श्री भजन तिवारी के पुत्र श्री युगल किशोर तिवारी एवं चम्पा कुंवर पत्नी स्व. श्री हरिकिशोर तिवारी से 2012 में

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

खरीदा था । उक्त जमीन पर दो वर्ष तक बिना किसी समस्या के खेती करते रहने के बाद गाँव के दबंग लोगों (जनक किशोर तिवारी पुत्र स्व. श्री रवि नन्दन तिवारी, राजेश्वर तिवारी पुत्र स्व. श्री बल्द कैलाशपति तिवारी) द्वारा आये दिन मेरे सास-ससुर को गाली गलौच एवं जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर परेशान करते है तथा जमीन पर प्रवेश करने पर मारने पीटने लगते हैं । पिछले वर्ष बोई गई फसल इन दबंगों द्वारा काट ली गई और खेत पर बनी झोपड़ी भी जला दी । इसकी शिकायत मैंने विभिन्न अधिकारियों से की पर कोई कार्रवाई नहीं हुई । अन्ततः न्यायालय के माध्यम से उक्त उत्पीडन की प्राथमिकी अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत थाना आन्दर में दर्ज कराई, जिस पर नियमानुसार मुझे 25000 हजार रूपये आर्थिक सहायता पुलिस अधीक्षक सीवान द्वारा प्रदान की गई ।

जिला कलेक्टर, सिवान ने माना कि श्रीमती प्रभावती देवी द्वारा अपने अभ्यावेदन में उठाये गये बिन्दु सही है तथा प्रथमदृष्टा रिपोर्ट पर भी नियमानुसार कार्यवाही का आर्थिक लाभ दिया जा चुका है । साथ ही प्रकरण में अन्वेषण अधिकारी द्वारा छानबीन जारी है । उक्त जमीन राजस्व रिकार्ड के आधार पर इन्हीं के नाम दर्ज है । अतः जमीन पर जाने आने में होने वाली समस्याओं तथा बुआई के समय अनावश्यक रूप से परेशानी उत्पन्न करने से रोकने के लिये जिला प्रशासन अभ्यावेदक को समुचित सुरक्षा प्रदान करेगा ।

आयोग का मानना है कि उक्त प्रकरण में अभ्यावेदिका द्वारा उठाई गई समस्यायें सही प्रतीत होती है, जिसका कि जिला प्रशासन भी पुष्टिकरण करता है । अतः अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के तहत समय से जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत करें ताकि मामलें में समय रहते उचित कार्रवाई करते हुये दोषियों को नियमानुसार सजा मिलें साथ ही काबिज जमीन पर जोकि राजस्व रिकार्ड में इन्हीं के नाम दर्ज है पर बिना किसी दबाव के आने जाने एवं खेती करने हेतु समुचित सुरक्षा उपलब्ध करवाई जावे एवं जिला प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई से आयोग को प्राप्त पत्र के 15 दिनों के अन्दर अवगत करावायें ।

(सुश्री अनुसुईया उइके)
उपाध्यक्ष

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

अनुलग्नक - क

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

पत्रावली : PD / 2 / 2017STGBH / SEOTH / RU - III

श्रीमती प्रभावती देवी पत्नी श्री रामा साह (गोंड) द्वारा दिनांक 17.02.2016 को दबंग लोगों द्वारा उत्पीड़न के मामले में दिनांक 28/06/2017 को अपराह्न 4:00 बजे संपन्न हुई बैठक में उपस्थित अधिकारियों / कर्मचारियों की सूची -

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

1. सुश्री अनुसुईया उइके, माननीय उपाध्यक्ष
2. श्रीमती के. डी. बंसोर, निदेशक
3. श्री नरेन्द्र कुमार जांगिड, उपाध्यक्ष के निजी सचिव

भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार के अधिकारी एवं जिला कलेक्टर, सिवान (बिहार)

1. श्री विपिन कुमार, रेजिडेंट कमिश्नर, बिहार
2. श्री महेंद्र कुमार, जिला कलेक्टर, सिवान (बिहार)

अभ्यावेदक

1. श्रीमती प्रभावती देवी